

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
सरकार बनाम कृष्णा देवी आदि

किस्म मुकदमा:- धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए

नं. मुकदमा.....12..... /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

07/02/22

तहसीलदार लूनकरणसर से ग्राम/चक शरह बुचावास के मुरबा /खसरा नम्बर 152, 153, 154, 138, 137, 136, मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरणसर के द्वारा अभिशपित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेड में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	मु. नम्बर /ख.न.	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा हैं।	नाम खातेदार
1.	152	3.64	बा.2	0.08	कृष्णादेवी पत्नि अमरनाथ जाति अरोरा सा. मटीली राठान तह. जिला श्रीगंगानगर खातेदार
2.	153	3.97	बा.2	0.10	कमलादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण सा. हंसेरा खातेदार
3.	154	6.32	बा.2	0.09	1. दाखा पत्नि स्व राजु जाति मेघवाल 2. अखाराम पुत्र राजू जाति मेघवाल 3. कालूराम पुत्र राजू जाति मेघवाल 4. हुक्माराम पुत्र राजू जाति मेघवाल 5. तुलछी पुत्री राजू जाति मेघवाल 6. फुसी पुत्री राजू जाति मेघवाल 7. अखाराम दत्तक पुत्र हीराराम जाति मेघवाल सा. हंसेरा खातेदार
4.	138	2.89	बा.2	0.05	1. गिरधारी नाथ पुत्र भीयानाथ 2. परमनाथ पुत्र भीयानाथ 3. हेतनाथ पुत्र भीयानाथ 4. माननाथ पुत्र साजननाथ जाति सिद्ध सा. हंसेरा
5.	137	2.90	बा.2	0.06	माना पुत्र साजन जाति सिद्ध सा. हंसेरा खातेदार
6.	136	2.89	बा.2	0.06	1. गिरधारीनाथ पुत्र भीयानाथ 2. परमनाथ पुत्र भीयानाथ 3. हेतनाथ पुत्र भीयानाथ जाति सिद्ध सा. हंसेरा खातेदार

उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तदनुसार तहसीलदार लूनकरणसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हरव जवाबदायित्व राफ्तार से

